भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2378

दिनांक 15.03.2023 को उत्तर देने के लिए

खानों का उदारीकरण

2378. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में खानों के उदारीकरण में सुधार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार खनन के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता वाले पहलुओं जैसे शहरी खनन की खोज के नए अवसर, गवेषण, व्यापार करने में आसानी, दीर्घकालिक खनन के लिए नीतिगत ढ़ांचा, महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ खनिज स्थलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) **से (ग): जी**, हां। **खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम**, 1957 (**एमएमडीआर अधिनियम**, 1957) **में** 28.03.2021 **से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम**, 2021 **के माध्यम से संशोधन किया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ खानों के खनिज उत्पादन और समयबद्ध संचालन को बढ़ाना, खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ाना, पट्टेदार बदलने के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और खनिज संसाधनों के गवेषण और नीलामी की गति को बढ़ाना है।**

सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) **बिना किसी अंतिम उपयोग प्रतिबंध के खनिज ब्लॉकों की नीलामी को अनिवार्य करके कैप्टिव और गैर-कैप्टिव खानों के बीच के अंतर को हटाना। इसके अलावा, मौजूदा कैप्टिव खानों को संबद्ध संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने और राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि के भुगतान पर उत्पादित खनिजों का 50% तक बेचने की अनुमति दी गई है।**

(ii) **समाप्त या रद्द होने वाले खान के संबंध में ऐसी खान की नीलामी के सफल बोलीदाता को वैध सांविधिक मंजूरी के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है।**

(iii) **गैर-नीलाम खानों के लिए खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हटा दिये गये हैं।**

(iv) **मान्यता प्राप्त निजी गवेषण एजेंसियां जिन्हें एमएमडीआर अधिनियम की धारा** 4(1) **के दूसरे प्रावधान के तहत अधिसूचित किया गया है, को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के बिना गवेषण करने की अनुमति दी गई है। इन एजेंसियों को राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी**) **के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए भी पात्र बनाए गए हैं। अब तक**, 14 **मान्यता प्राप्त निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है।**

उपर्युक्त सुधारों के अतिरिक्त, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने, खनिज ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने और खनिजों के गवेषण की गति बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा कई अन्य नीतिगत पहल की गई हैं। इन सुधारों में ,खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए गवेषण मानदंडों को सरल करना; संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए किसी क्षेत्र की अधिसूचना हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को सक्षम बनाना; उत्पादन शुरू होने की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादन और प्रेषण के लिए प्रोत्साहन; खनन पट्टे और संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी में भाग लेने के लिए निवल आवश्यकता पर रोक लगाना; मामूली प्रकृति के अपराधों का निरपराधीकरण; और उस क्षेत्र की पहचान और सीमांकन के लिए जीपीएस की अनुमति देना जहां नीलामी के माध्यम से संयुक्त अनुज्ञप्ति दिया जाना प्रस्तावित है, शामिल है।

खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 **के अध्याय-**5 **के तहत प्रावधान करके सतत खनन को लागू किया है। एमसीडीआर के नियम** 35 **में खनिकों द्वारा अपनाई गई सतत खनन प्रथाओं के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान है।**

*****